न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05/2019
प्रविष्टि दिनांक 30.01.2019

दिनेश पुत्र जगदीश जाति मीना आयु 17 वर्ष ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज. नाबालिक जरिये सरंक्षक मामा लालाराम पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी मोहम्मदगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट

बनाम

1–जानकी पुत्री भागूता जाति मीना निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक हाल आबाद ग्राम उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
2–फेलीलाल पुत्र भागूता जाति मीना निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज.
3–नायब तहसीलदार बनेठा जिला टोंक राज.

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 वाके ग्राम सुरेली नायब तहसीलदार बनेठा

उपस्थिति –(1) श्री दोलतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2

निर्णय दिनांक 11.11.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा दिनांक 31.01.2013 को गैर खातेदार केसरा पुत्र भागूता कोम मीणा सा. देह नियमन की मृत्यु होने से वाके ग्राम सुरेली के खसरा नम्बर 1419 रकबा 1.00 है.,विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 वाके ग्राम सुरेली जगदीश,फेलीलाल पुत्र भागूता,जानकी पुत्री भागूता कोम मीणा सा. देह नियमन गैर खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तलब किया गया। नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एंव अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट दिनेश व रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 मीना जाति के सदस्य है। मीना जाति अनुसूचित जन जाति में होने के कारण इस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं हो कर परम्परागत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अपीलाधीन नामान्तरकरण मे जानकी का नाम गलत रूप से जोडा गया है। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 स्वर्गीय भागूता की सन्ताने व वारिसान है। भागूता के दो पुत्र निःसन्तान फोत हो चुके है और अर्जुन नाम का बेटा उसके ताऊ हरदेवा के वर्षो पहले गोद चला गया था। जगदीश का बेटा दिनेश नाबालिग है व मनचेता पुत्री अपने ससुराल रहती है।अपीलान्ट एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्चा है जो संरक्षक की बहिन पोखरी का पुत्र है। अपीलान्ट के माता पिता मर चुके है और अपीलांट का काका फेलीलाल अपीलांट से दुर्भावना रखता है। अपीलान्ट की बहिन अपने ससुराल में निवास करती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा संरक्षक मामा के माध्यम से यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट की बुआ जानकी द्वारा अपीलांट व उसके मामा को उक्त में से 1/3 हिस्सा लेने की धमकी आज से 10 दिन पूर्व देने पर अपीलांट व उसके मामा ने पटवारी हल्का से जानकारी करने पर पटवारी हल्का ने बताया कि जानकी मृतक केसरा की भूमि में से 1/3 हिस्से की गेर खातेदार दर्ज है। अपीलान्ट को जानकारी होने पर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की दिनाक 16.1.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में यदि फिर भी कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने हेतु अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस मे निवेदन किया कि नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा गैर खातेदार केसरा पुत्र भागुता जाति मीणा निवासी सुरेली की मृत्यू होने के उपरान्त पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा वारिसान की जांच करने के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 वाके ग्राम बनेठा को तस्दीक किया है। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा उक्त नामान्तकरण वारिसान की जांच उपरान्त ही तस्दीक किया है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग है,जिसमे किसी भी व्यक्ति के राईट टाईटल का निर्णय नही किया जाता है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा दिनांक 31.01.2013 को गैर खातेदार केसरा पुत्र भागूता कोम मीणा सा. देह नियमन की मृत्यु होने से वाके ग्राम सुरेली के खसरा नम्बर 1419 रकबा 1.00 है.,विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 वाके ग्राम सुरेली जगदीश,फेलीलाल पुत्र भागूता,जानकी पुत्री भागूता कोम मीणा सा. देह नियमन गैर खातेदार के नाम तस्दीक किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है अपीलान्ट दिनेश व रेस्पोडेण्ट नं. 1 व 2 मीना जाति के सदस्य है। मीना जाति अनुसूचित जन जाति में होने के कारण इस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं हो कर परम्परागत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है, परन्तु "Rajasthan Tenancy Act 1955 section 40 Succession to tenants- when a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at

न्यायालय जिला कलेक्टर जयपुर

जिला कलेक्टर
टोंक

the time of his death." का उल्लेख है। नामान्तकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से विदित होता है कि पटवारी हल्का सुरेली ने नामान्तकरण की परत पर भागूता के फोत होने का सजरा अंकित कर सजरे मे सभी वारिसान का उल्लेख किया है। पटवारी हल्का की जांच उपरान्त उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक बनेठा द्वारा की गई है। बाद जांच भू–अभिलेख निरीक्ष बनेठा ने नामान्तकरण की परत पर बने सजरे को सही माना है,उसके उपरान्त नायब तहसीलदार बनेठा ने उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है। इस प्रकार स्पट है कि नामान्तकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 वारिसान की जांच उपरान्त ही तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1081 दिनांक 31.01.2013 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)